No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 24.12.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of October & November, 2020 is enclosed for information.

(Prashant Rastogi)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF OCTOBER & NOVEMBER 2020

1. Notifications

(i) The Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 were amended on 16/10/2020 making it sufficient for companies to pass only one previous special resolution in order to make an offer or invitation of any securities to qualified institutional buyers on private placement basis during the year. This would provide ease in raising finance to companies. (G.S.R. No. 642 (E), dated 16.10.2020).

(ii) Vide notification dated 27.11.2020, the Ministry has designated the Special Courts in the States of Maharashtra, West Bengal and Tamil Nadu for the purposes of trial of offences under the Act, in respect of cases filed by the Securities and Exchange Board of India. [Notification No.S.O.4283(E)].

2. Circulars

(i) A General Circular has been issued on 20/10/2020 to clarify that non-compliance of minimum residency in India for a period of at least 182 days by at least one director of every company, under Section 149 of the CA-13, shall not be treated as a non-compliance for the financial year 2020-21. Earlier in March, 2020 similar relaxation was given for the previous financial year 2019-20 and in view of requests received, this relaxation has been given for the current financial year as well. (General Circular No.36/2020, dated 20.10.2020).

(ii) A General Circular has been issued on 09.11.2020, in continuation to this Ministry's General Circular No. 13/2020 dated 30.03.2020 and General Circular No. 31/2020 dated 28.09.2020. Through the said circular, the belated documents which were due for filing till 31st August, 2020 has been extended to 30th November, 2020 for filing under the LLP Settlement Scheme, 2020 by the defaulting LLP's. Further, if a statement of account and solvency for the financial year 2019-2020 has been signed beyond the period of six months

from the end of financial year but not later than 30th November, 2020, the same shall not be deemed as non-compliance. (General Circular No.37/2020, dated 09.11.2020).

3. Competition Commission of India(CCI) :

For the month of October: (i) During the month, the Competition Commission of India(CCI) received six (06) fresh notices u/s 6(2) of the Act pertaining to combinations and approved three (03) combination cases. With this, total 795 notices [782 u/s 6(2) and 13 u/s 6(5) of the Act] have been filed till October 2020 out of which 785 cases have been disposed of within stipulated time.

(ii) Furthermore, the Competition Commission of India(CCI) received four (04) new cases and decided a total of four (04) cases u/s 19 of the Act for alleged violation of S.3 & 4 during the month. With this, the total number of cases filed up to October 2020 stands at 1099 and 949 cases have been decided.

(iii) In its endeavour to function online during the prevailing conditions of pandemic, the CCI successfully conducted five final hearings through Video Conferencing during October 2020.

For the month of November: (i) During the month, the Commission received eight (08) fresh notices u/s 6 (2) of the Act pertaining to Combinations and approved eight (08) Combination cases. With this, total 803 notices [790 u/s 6 (2) and 13 u/s 6 (5) of the Act] have been filed till November 2020 out of which 793 cases have been disposed of within stipulated time

(ii) Furthermore, the Commission received eight (08) new cases and decided a total of three (03) cases u/s 19 of the Act for alleged violation of S.3 & 4 during the month. With this, the total number of cases filed up to November 2020 stands at 1107 and 952 cases have been decided.

(iii) The Commission after prima facie finding Google's conduct with regard to its android app 'Google Pay' in contraventions of relevant provisions of the Competition Act, 2002, directed the DG vide orders dated 09.11.2020, to conduct an investigation in this matter.

(iv) The Commission has amended the Combination Regulations to dispense with information requirement relating to non-compete clause (including its scope, territorial extent, and temporal duration and corresponding justifications) in Form 1. The amendment is expected to provide flexibility to the parties to the Combination in negotiating non-compete clauses and will also reduce the information requirements at the time of notifying the Combination.

सं. सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः दिसंबर, 2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अक्तूबर और नवंबर, 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

(प्रशांत रस्तोगी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, प्रेषितः

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव।
3. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
4. निदेशक (एनआईसी) - एमसीए की सरकारी वेबसाइट पर इस सूचना को अपलोड करने हेतु।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अक्तूबर और नवंबर, 2020 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति-निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं:-

(i) कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में दिनांक 16.10.2020 को वर्ष के दौरान निजी प्लेसमेंट आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के लिए किन्ही प्रतिभूतियों के किसी प्रस्ताव अथवा आमंत्रण करने के लिए केवल एक पूर्ववर्ती विशेष संकल्प पास करने के लिए कंपनियों हेतु इसे पर्याप्त बनाने के लिए संशोधित किया गया। इसके फलस्वरूप कंपनियों के लिए वित्त जुटाने मे आसानी प्रदान होगी। (सा.का.नि.सं.642(अ) दिनांक 16.10.2020)।

(ii) दिनांक 27.11.2020 की अधिसूचना के माध्यम से, मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा फाइल किए गए मामलों के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में विशेष न्यायालय नामित किए हैं। [अधिसूचना सं. का.आ.4283(अ)]।

2. परिपत्र

(i) दिनांक 20.10.2020 को यह स्पष्ट करने के लिए एक सामान्य परिपत्र जारी कर दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन प्रत्येक कंपनी के कम से कम एक निदेशक द्वारा कम से कम 182 दिन की अवधि हेतु भारत में न्यूनतम प्रवास के उल्लंघन को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पूर्व में मार्च, 2020 में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समान छूट प्रदान की गई थी और प्राप्त अनुरोधों के आलोक में, यह छूट मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भी दी गई है। (सामान्य परिपत्र सं.36/2020, दिनांक 20.10.2020)।

(ii) इस मंत्रालय के दिनांक 30.03.2020 के सामान्य परिपत्र सं.13/2020 और दिनांक 28.09.2020 के सामान्य परिपत्र सं. 31/2020 के क्रम में दिनांक 09.11.2020 को एक सामान्य परिपत्र जारी कर दिया गया है। उक्त परिपत्र के माध्यम से, विलंबित दस्तावेज जो 31 अगस्त, 2020 तक फाइलिंग के लिए देय थे, को चूककर्ता एलएलपी द्वारा एलएलपी समाधान योजना, 2020 के अधीन फाइलिंग के लिए 30 नवंबर, 2020 तक बढा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखा और दिवाला की किसी विवरणी में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि से आगे हस्ताक्षर कर दिए गए हैं किंतु, 30 नवंबर, 2020 के बाद नहीं, उसे उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा। (सामान्य परिपत्र सं.37/2020, दिनांक 09.11.2020)।

3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई):

अक्तूबर माह के लिए: (i) माह के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को संयोजनों से संबंधित इस अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत छह (06) नए नोटिस प्राप्त हुए और तीन (03) मामलों में संयोजन अनुमोदित हुए। इसके साथ, कुल 795 नोटिस [इस अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत 782 और

धारा 6(5) के अतंर्गत 13] अक्तूबर, 2020 तक फाइल कर दिए गए हैं जिनमें से 785 मामलों का निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटान कर दिया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को चार (04) नए मामले प्राप्त हुए और माह के दौरान धारा 3 और 4 के तथाकथित उल्लंघन के लिए इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन कुल चार (04) मामलों को निर्णीत किया गया। इसके साथ, अक्तूबर, 2020 तक फाइल किए गए मामलों की कल संख्या 1099 होती है और 949 मामले निर्णीत कर दिए गए हैं।

(iii) महामारी की प्रचलित परिस्थितियों में ऑनलाइन कार्य करने के अपने प्रयासों में, सीसीआई ने अक्तूबर, 2020 के दौरान वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से पांच अंतिम सुनवाइयां सफलतापूर्वक की।

नवंबर माह के लिए: (i) माह के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को संयोजनों से संबंधित इस अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत आठ (08) नए नोटिस प्राप्त हुए और आठ (08) मामलों में संयोजन अनुमोदित हुए। इसके साथ, कुल 803 नोटिस [इस अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत 790 और धारा 6(5) के अतंर्गत 13] नवंबर, 2020 तक फाइल कर दिए गए हैं जिनमें से 793 मामलों का निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटान कर दिया गया है।

(ii) इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को आठ (08) नए मामले प्राप्त हुए और माह के दौरान धारा 3 और 4 के तथाकथित उल्लंघन के लिए इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन कुल तीन (03) मामलों को निर्णीत किया गया। इसके साथ, नवंबर, 2020 तक फाइल किए गए मामलों की कुल संख्या 1107 होती है और 952 मामले निर्णीत कर दिए गए हैं।

(iii) आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के संगत प्रावधानों के उल्लंघन में 'गूगल पे' अपने एंड्रायड एप के संबंध में प्रथम दृष्टतया निष्कर्ष के पश्चात् गूगल के आचरण को, दिनांक 09.11.2020 के आदेशों के माध्यम से डीजी को निदेश दिया कि इस मामले में अन्वेषण संचालित किया जाए।

(iv) आयोग ने प्ररूप 1 में नॉन-कंपीट खंड (इसके क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक सीमा और समयावधि और उत्तरवर्ती औचित्यों सहित) के संबंध में सूचना आवश्यकता देने के लिए संयोजन विनियमों को संशोधित किया है। इस संशोधन से पक्षकारों के लिए वार्ताकारी नॉन-कंपीट खंडों में संयोजन के लिए सुन्मयता प्राप्त होने की संभावना है और यह संयोजन अधिसूचित करते समय सूचना आवश्यकताओं को भी कम करेगा।

****